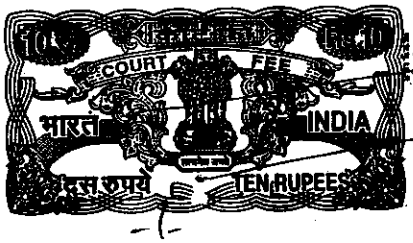

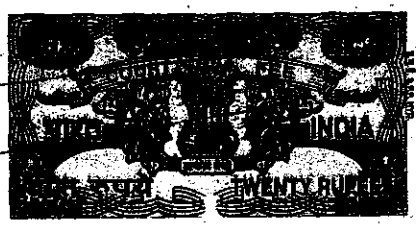

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

अपील/3759/III-15

प्र.क्रं. / 2015 अपील

श्री मुकेश भार्गव, अभि० द्वारा आज दि. 18-11-15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 18-11-15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मुकेश भार्गव 18-11-15 एडवोकेट ग्वालियर

कुलदीप पुत्र दिनेश कुमार वैश्य
निवासी पोहरी तहं. पोहरी
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

.... अपीलार्थी

विरूद्ध

म.प्र. शासन

...... अनावेदक

न्यायालय आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्र.क्रं. 173/12-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 27.6.2015 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 (2) के अधीन द्वितीय अपील।

माननीय महोदय,

अपीलार्थी का निम्नानुसार निवेदन है कि –

1-- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय कमिश्नर व कलेक्टर द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

2-- यह कि, ग्राम मचारखुर्द तह. पोहरी में स्थित भूमि ख.क्रं. 03/4 रकवा 0.80 हे. भूमि का व्यवस्थापन किये जाने बावत अपीलार्थी ने आवेदन पत्र कलेक्टर शिवपुरी के समक्ष प्रस्तुत किया जिसकी जांच कर प्रतिवेदन भेजने हेतु तहसीलदार पोहरी को भेजा। तहसीलदार पोहरी ने अपने प्रतिवेदन दिनांक

X/XIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक अपील 3759–तीन/2015 जिला–शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20 –10–2016	1– यह अपील अपीलार्थी द्वारा आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 173/12–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 27.6.2015 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 44(2) के अंतर्गत द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि ग्राम मचाखुर्द तहसील पोहरी में स्थित शासकीय भूमि ख.क्र. 03/4 रकवा 0.80 है0 भूमि का व्यवस्थापन किये जाने बावत अपीलार्थी ने आवेदन पत्र कलेक्टर शिवपुरी के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसकी जांच आदि कराकर अपने आदेश दिनांक 31.10.12 द्वारा निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर आयुक्त ग्वालियर के समक्ष प्रथम अपील की जो आदेश दिनांक 27.06.2015 द्वारा निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की है। 3– अपीलार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में बताया कि वाद भूमि ख. कं. 03/4 रकवा 0.80है. भूमि पर उसका कब्जा होकर खसरे में इन्द्राज चला आ रहा है। अपीलार्थी ने वाद भूमि को अपने श्रम व हजारों रूपये की लागत लगाकर उपयोगी बनाया है। उक्त भूमि के कुछ रकवा पर फलदार वृक्ष लगे हैं शेष भूमि पर कृषि की जाती है इस प्रकार वाद भूमि ही अपीलार्थी के परिवार की जीविकोपार्जन का एक मात्र साधन है। तहसीलदार व अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त भूमि का अपीलार्थी के पक्ष में पट्टा/व्यवस्थापन किये जाने की अनुशंसा की थी उसके बावजूद कलेक्टर ने अपीलार्थी के पक्ष में व्यवस्थापन न कर भूमि से कब्जा हटाये जाने का आदेश पारित करने में त्रुटि की है। कलेक्टर द्वारा पारित आदेश की पुनरावृत्ति	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	करते हुये आयुक्त ग्वालियर द्वारा अपीलार्थी की अपील निरस्त कर कलेक्टर का आदेश स्थिर रखने में भूल की है अतः ऐसी स्थिति में कलेक्टर शिवपुरी एवं आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर का आदेश निरस्त किये जाने एवं अपीलार्थी के पक्ष में वाद भूमि का व्यवस्थापन किये जाने का निवेदन किया गया। 4– अनावेदक म.प्र. शासन की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में यह बताया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण में जो आदेश पारित किये गये हैं वह विधिवत एवं सही होने से स्थिर रखे जाने एवं अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया । 5– उभयपक्ष अधिवक्ता के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया जिसके अनुसार वाद भूमि ख.क्रं. 03/4 रकवा 0.80 है0 भूमि पर उसका वर्ष 89–90 से कब्जा होकर खसरे में इन्द्राज होकर वाद भूमि को उपयोगी बनाने में अपने श्रम एवं हजारों रूपये खर्च कर कृषि योग्य बनाया है वाद भूमि के कुछ हिस्से पर फलदार वृक्ष खड़े हैं शेष रकवा पर कृषि की जाती है उक्त भूमि ही अपीलार्थी के परिवार की जीविकोपार्जन का एक मात्र साधन है। कलेक्टर के समक्ष इस आशय का आवेदन पेश कर वाद भूमि का अपीलार्थी के पक्ष में पट्टा/व्यवस्थापन किये जाने का निवेदन किया था कलेक्टर द्वारा उक्त आवेदन पर तहसीलदार से अनुविभागीय अधिकारी के मार्फत मौके की जांच कर प्रतिवेदन मंगाया तहसीलदार द्वारा व्यवस्थापन किये जाने की अनुशंसा की अनुविभागीय अधिकारी ने भी अपने प्रतिवेदन दिनांक 24.2.2011 अनुसार तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुये प्रतिवेदन कलेक्टर शिवपुरी की ओर भेजा कलेक्टर ने अपने आदेश में स्पष्ट यह निश्कर्ष नहीं दिया कि उक्त प्रतिवेदन से वह किन कारणों से सहमत नहीं है अधीनस्थ न्यायालय ने भी बिना कोई कारण दिये कलेक्टर के आदेश की पुष्टि कर दी। ऐसी स्थिति में जो आदेश कलेक्टर शिवपुरी एवं आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित किये गये हैं वह	

4

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक अपील 3759—तीन/2015 जिला—शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर कलेक्टर शिवपुरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.10.2012 एवं आयुक्त ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.06.2015 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एवं ग्राम मचाखुर्द तह. पोहरी में स्थित वाद भूमि ख.कं. 03/4 रकवा 0.80 है0 भूमि का पट्टा/व्यवस्थापन अपीलार्थी के पक्ष में स्वीकार किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार को निर्देश दिये जाते हैं कि तदनुसार अपीलार्थी का नाम बाद भूमि पर राजस्व अभिलेख में दर्ज करें। सदस्य	